संख्या:86/2025/20बीपी/35-1-2025/35-1099/44/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 21 अप्रैल,2025

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लघु सिंचाई की परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या-29/2018/100बीपी/35-1-2018, दिनांक 06 नवम्बर 2018 द्वारा लघु लघु सिंचाई की परियोजना से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 परियोजनाओं की रू. 33603.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 5240.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा मात्र रू. 1934.12 लाख की धनराशि व्यय व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या-10/2019/50बीपी/35-1-2019, दिनांक 13 मई, 2019 द्वारा रू. 4415.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-17/2019/100बीपी/35-1-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा रू. 23947.00 लाख अर्थात कुल रू. 28362.00 लाख (रू. 4415.00 लाख + रू. 23947.00 लाख=रू. 28362.00 लाख) की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 6063.09 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-03/2021/15बीपी/35-1-2021, दिनांक 27 जनवरी, 2021 द्वारा रू. 8050.31 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 7418.97 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-12/2021/72बीपी/35-1-2021, दिनांक 02 अगस्त, 2021 द्वारा रू. 13046.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 3665.97 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-05/2022/36बीपी/35-1-2022/001-35-1099/25/2021, दिनांक 07 जुलाई, 2022 द्वारा रू0 7946.44 लाख तथा शासनादेश संख्या-03/2023/10बीपी/35-1-2023/001-35-1099/25/2021, 1099/25/2021, दिनांक 16 मार्च, 2023 द्वारा जीएसटी की दरों में वृद्धि के दृष्टिगत रू. 134.39 लाख लाख अर्थात वित्तीय 2022-23 में कुल रू0 8080.83 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष सापेक्ष विभाग द्वारा मार्च, 2023 तक रू0 5640.23 लाख का व्यय किया गया तथा शेष धनराशि समर्पित की गई।वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश सं0-115/2024/10बीपी/35-1-2024/35-1099/44/2024 दिनांक 31 मार्च, 2024 द्वारा रू. 93.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसका पूर्ण उपयोग विभाग द्वारा किया गया है। तदोरोपान्त शासनादेश संख्या-149/2024/27बीपी/35-1-2024/35-1099/44/2024, दिनांक 21 अगस्त, 2024 द्वारा रू0 1620.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा मार्च, 2025 तक रू0 1081.00 लाख का व्यय किया गया तथा शेष शेष धनराशि समर्पित की गई।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रश्नगत परियोजनाओं की अनुमोदित लागतरू. 33603.00 लाख के सापेक्ष कुल मिलाकर रू. 25897.28लाख का व्यय हुआ हैतथा रू. 7705.72लाख की धनराशि अवशेष बची। मुख्य अभियन्ता, लघु सिचांई विभाग के पत्र सं0-31/ल0सि0/बजट-बु0पै0तृतीय/2018-19 दिनांक 08 अप्रैल, 2025 द्वारा लघु सिंचाई की प्रश्नगत परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय किये जाने योग्य रू0 **283.25** लाख धनराशि की मांग की गई है।

एतद्द्वारा परियोजनाओं की अनुमोदित लागत रू. 33603.00 लाख के सापेक्ष पूर्व में व्यय धनराशि रू. 25897.28 लाख को समायोजित करते हुए परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय मांग के अनुरूप रू. **283.25** लाख (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख पचीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	परियोजना का नाम	**अनुमोदित लागत**	**माह मार्च, 2025 तक व्यय धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	चेकडैम का निर्माण	10054.00	8167.16	0.00
2	तालाबों का आधुनिकीकरण	13020.00	9036.87	0.00
3	नये डग/ ब्लास्टवेल का निर्माण	10529.00	8693.25	283.25
	योग	**33603.00**	**25897.28**	**283.25**

1. सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 06 नवम्बर, 2018, दिनांक 13 मई, 2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019, दिनांक 27 जनवरी, 2021, दिनांक 02 अगस्त, 2021, दिनांक 07 जुलाई, 2022 तथा दिनांक 16 मार्च, 2023,दिनांक 31 मार्च, 2024 एवं 21 अगस्त की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2. प्रशा0 विभाग द्वारा योजना के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रशा0 विभाग द्वारा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से किया जायेगा और धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
5. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2026तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे उक्त दिनांक से पूर्वसमर्पित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति (लघु सिंचाई) विभाग का होगा। तदनुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माहकी 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।
8. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

231/2025 दिनांकः 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 2,83,25,000/- (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख पचीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 4575028000420 नये डगवेल का निर्माण (के.100/रा.0-के.) मानक मद 24वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या:86/2025/20बीपी(1)/35-1-2024/35-1099/44/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुखसचिव, नमामिगंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजीसचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/महोबा।
8. मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/महोबा।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/महोबा।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/महोबा।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।